अपनी बात...

राजतंत्रीय लोकतंत्र

हमारे नेता आजादी के बाद अय्याशी में इतना मशगूल हो गये कि अभी तक वे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह तक नहीं तय कर पाये।

समय के साथ बहुत कुछ बदला है आजादी का संघर्ष जनतांत्रिक था लेकिन उसके बाद जनतांत्रिक लोकतंत्र धीरे-धीरे जनतात्रिंक राजतंत्र में बदल गया फिर भी बहुत सारी सफलताओं, विफलताओं, विषमताओं, जटिलताओं को झेलते हुए आज हम आजादी का ६६वां जन्मदिन मना रहे हैं। हम इन नेताओं की तरह ये तो नहीं कह सकते कि हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं पर मना तो रहे ही हैं। हम निराशावादी नहीं है इसलिए संभावनाओं का बीज बोने से इस लिए नहीं पीछे हटते कि यदि आपके अन्दर जज्बा है तो आप पत्थर पर दूब उगा सकते हैं पहाड़ों को काटकर पानी ला सकते हैं जरूरत है तो उस पत्थर को काटकर थोड़ी सी जगह बनाने की।

इन पैसढ वर्षों में हमने बहुत कुछ हासिल किया है लेकिन उसको हासिल करने की जो कीमत चुकायी है वह बहुत ज्यादा है जहां हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, सूचना, परिवहन में मजबूती से कदम बढ़ाया है वहीं आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मंहगाई, जातिवाद, सांप्रदायिक उन्माद जैसी देश को पीछे धकेलने वाली गंभीर समस्याएं गंभीरतम हुई है जिससे देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ा है।

जनसुविधाओं का विकास तो इस देश में मुगल शासकों एवं अंग्रेजों ने भी किया था। सड़क, रेल, हवाईजहाज, इमारते, दूरभाष, पोस्ट आफिस सब उनकी देन है वह भी न्यूनतम भ्रष्टाचार में लेकिन इसकी जो कीमत इस देश की जनता को उनको चुकानी पड़ी थी वही आजादी के संग्राम का कारण बना था लेकिन इस आजादी के बाद आज जो कीमत देश वासियों को इन देशी शासकों के लिए चुकानी पड़ रही है वह उनसे बहुत अधिक है।

१९४७ में जो राजनीतिक अभिव्यक्ति की आजादी मिली थी वह आज इन देशी, काले अंग्रेजों को आज भी नामंजूर है। अभी हाल की घटनाओं पर नजर डालें तो एक वाकया पश्चिम बंगाल का याद आता है जिसमें एक किसान ने प्रदेश की मुख्यमंत्री से जब उनसे सिर्फ यह पूछ लिया कि आपने अब तक किसानों के लिए क्या किया है या कार्टूनिष्ट ने उनका कार्टून बना दिया तो उन पर आपराधिक धाराएं लगाकर जेल में डाल दिया गया। यही काम तो अंग्रेज भी करते थे तो ये उनसे अलग कैसे?

इन ६५ वर्षों में हम ईमानदार समाजसेवी नेता अपने देश में पैदा करने में पूर्णतया अक्षम साबित हुए हैं। यही कारण है कि अमीरी गरीबी की खाई लगातार चौड़ी होती गयी। जहां आज देश के आधी आबादी खुले में शौच को विवश है जहां आज भी सिर पर मैला ढोने की मजबूरी विद्यमान है वहां देश के नीति नियंता ३५-३५ लाख रुपये मात्र अपने दफ्तर के शौचालय पर खर्च कर दे रहे हैं और लगता है वे शौचालय को बेडरूम, रसोई/डायनिंग हाल की तरह इस्तेमाल करते हैं।

आज देश से यह सवाल पूछने का वक्त नहीं है कि देश ने हमें क्या दिया बल्कि यह पूछना ज्यादा लाजिमी होगा कि हमने देश को क्या दिया। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अंगीकरण के समय दिये गये व्याख्यान में कहा था "मैं मानता हूं कि यह संविधान व्यावहरिक है, इसमें वांछित लचीलापन है और इसमें देश को शांति तथा युद्ध दोनो ही परिस्थितियों में इकट्ठा रखने की क्षमता है। इसी के साथ मैं कहूंगा कि अगर संविधान लागू होने के बाद स्थिति खराब होती है, तो उसका कारण यह नहीं होगा कि संविधान दोषपूर्ण है बल्कि उस स्थिति में एक ही बात कही जा सकेगी कि इसके लिए मानवीय दुष्टता दोषी है।" डॉ. अम्बेडकर का शंशय सही साबित हुआ मानवीय दुष्टताओं ने आज लोकतंत्र को परिवर्तित राजतंत्र में तब्दील कर दिया है, राजनीतिक दल राज परिवार की तरह काम करके Dynasty Rule चला रहे हैं। राजनीतिक दल परिणित राज परिवार एक मायने में राजतंत्र से भी ज्यादा सुखद स्थिति में हैं क्यों कि जहां राजतंत्र में किसी भी समस्या के लिए सीधे-सीधे राजपरिवार या उसका मुखिया राजा दोषी माना जाता था इस लोकतांत्रिक राजतंत्र में उसके लिए भी जनता ही दोषी मानी जाती है।

१५ अगस्त स्वतंत्रता दिवस है २६ जनवरी गणतंत्र दिवस है, २ अक्टूबर गांधी जयन्ती हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में किस प्रावधान के तहत मनाते हैं यह यहां की सरकार को नहीं मालुम। लाखों रूपया प्रति वर्ष इस पर खर्च होता है लेकिन इसका कोई रिकार्ड नहीं है इसका कोई सरकारी आधार भी नहीं है। इस लम्बे अन्तराल में समय के साथ हम सत्ता परिवर्तन तो करते रहे लेकिन जाति, लिंग, भाषा, वर्ग, संप्रदाय के दल-दल में फंस कर समय के अनुसार व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सके। इसका अफसोस है। इस लोकतांत्रिक राजतंत्र में भ्रष्टाचार पुष्पित पल्लवित हुआ उसके लिए एक शायर की दो पंक्तियाँ-

"भेजा था मैंने अपनी तरफ से उन्हें वहां।
वो भी तो जाके उनके तरफदार हो गये।।"

अधीनस्थ न्यायालयों में ड्रेस कोड

○कासिफ़ हैदर, एडवोकेट

प्रदेश के सभी न्यायालयों में तैनात रीडर, पेशकार, एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब आपको अपने निर्धारित ड्रेस में नजर आएंगे।

कोर्ट के इन कर्मचारियों के लिए अब ड्रेस कोड लागू हो गया है। इस बाबत उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

ड्रेस कोड से संबंधित आदेश के मुताबिक कोर्ट रीडर, पेशकार और स्टेनोग्राफर को सफेद शर्ट और काली/सफेद पेंट और काले जूते पहनने होंगे।

इसके साथ ही कर्मचारी काले रंग का कोट पहनकर नेक टाई भी लगाएंगे। महिला कर्मियों के लिए सफेद साड़ी-ब्लाउज या फिर सलवार सूट या पेंट-शर्ट और कोट पहनना होगा। ऐसे कर्मचारी सफेद रंग का कोट, शेरवानी और अचकन (बटन भी सफेद), सफेद पेंट पहनेंगे। सर्दी में उन्हें नेवी ब्लू कलर का कोट पहनना होगा।

आदेश के मुताबिक चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए भी ड्रेस कोड व्यवस्था लागू की गई है। रजिस्ट्रार जनरल क आदेश के आने के बाद जल्द ही कोर्ट के कर्मचारी एक ड्रेस में नजर आएंगे। ❑

पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण से नैतिकता में गिरावट

○डॉ. एस.के. शर्मा, एडवोकेट

न्याय सिन्धु संस्था द्वारा आयोजित समारोह में 'मोरैलिटी इन लॉ' लखनऊ खण्ड पीठ के न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विष्णु सहाय द्वारा इस खण्ड पीठ के वरिष्ठ न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह तथा गणमान्य जजेज व अधिवक्तागणों की उपस्थित में किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए न्यायमूर्ति जस्टिस देवीप्रसाद सिंह ने कहा कि विश्व में जहां सर्वाधिक कैम्पस क्राइम अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, वहीं, भारत के हालात भी बदतर होते जा रहे हैं। सीमित या लंबे समय तक 'लिव-इन रिलेशनशिप' ठीक वैसा ही है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। इससे आने वाले समय में सामाजिक व्यवस्था टूट सकती है। हमारे यहां भी शादी के कुछ समय बाद ही तलाक का चलन बढ़ा है।

आगे बोलते हुए उन्होंने भारतीय समाज में पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण से नैतिकता के गिरते स्तर के प्रति सचेत करते हुए कहा कि शहरी संस्कृति में अब 'ड्रग' लेने, रेव पार्टियों, सेक्स रैकेट्स, मादक चीजों की बिक्री, संबंधों में भरोसे की कमी, स्वार्थी जीवन, बाल लिंग भेद जैसी चीजें तेजी से पनप रही हैं। भ्रष्टाचार से हर देश का आर्थिक विकास कमजोर होता है और यह 'कानून के शासन' को भी दरकिनार करता जाता है। कानून व नैतिकता को एक-दूसरे का पूरक बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारा संविधान नैतिकता पर मौन नहीं है बल्कि इसमें नैतिकता को कानून व्यवस्था के समकक्ष रखा गया है। नैतिकता वाला व्यक्ति ही मानवतावादी हो सकता है।

नैतिक मूल्यों के पतन से उपजे हालात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि लोगों का अब सत्य पर भरोसा नहीं रह गया है। ऐसा माना जाने लगा है कि सब कुछ खरीदे जाने योग्य है। उन्होंने सभागार में सवाल उठाया कि क्या हम सब भी उसी दिशा में जा रहे हैं? समारोह की अध्यक्षता करते हुए लखनऊ पीठ के वरिष्ठ न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह ने जज, कानून व नैतिकता पर विस्तार से बताया। विशिष्ट अतिथि जस्टिस विष्णु सहाय ने कहा कि हमारे संविधान में नैतिकता का पूरा समावेश है, बस जरूरत इसे गति देने की है। कार्यक्रम के समापन में न्याय सिंधु संस्था की ओर से एडवोकेट एस. पी. श्रीवास्तव व आईपी सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। ❑

अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज

○चन्द्रशेखर ओझा

प्रतापगढ़। लालगंज में दीवानी कोर्ट स्थापित होने के विरोध में जिला मुख्यालय के अधिवक्ता उग्र हो गए। उन्होंने कांग्रेस कार्यालय, कोर्ट व कलेक्ट्रेट के साथ डीएम कार्यालय में तोड़फोड़ की। पुलिस के दौड़ाने पर विरोध में पथराव कर दिया। लाठीचार्ज में कई वकील घायल हुए। छह को हिरासत में लिया गया है।

१५ अगस्त पर लालगंज में कोर्ट का उद्घाटन होने पर जिला मुख्यालय के अधिवक्ता नाराज हो उठे। सुबह न्यायिक बहिष्कार कर जुलूस की शक्ल में कचहरी में घूमने के बाद अंबेडकर चौराहे पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता का पुतला फूंकने के बाद कांग्रेस कार्यालय, अल्प बचत कार्यालय में तोड़फोड़ की। डीएम सभागार में बैठे एसडीएम रानीगंज को बाहर निकाल दिया। डीएम की नेम प्लेट, एडीएम समेत अन्य कार्यालयों में सबकुछ उलट पलट दिया। थोड़ी देर बाद पहुंचे डीएम की कार को रोक लिया। इस दौरान कोतवाल पहुप सिंह से अधिवक्ताओं की नोंकझोंक हो गई कोतवाल ने दौड़ाया तो अधिवक्ता उग्र हो उठे और पुलिस पर पथराव किया। डीएम स्कार्ट की सूमो क्षतिग्रस्त कर दिया।❑

नवगठित न्यायालय अझारा लालगंज, में इंद्रजीत सिंह (प्रथम) जिनकी तैनाती सिविल जज जूनियर डिवीजन लालगंज अझारा (प्रतापगढ़) पर हुई है वे उसके साथ-साथ Judicial Magistrate, First Class का भी कार्य देखेंगे।

दो पत्नीहंताओं समेत छह लोगों को उम्रकैद

गोंडा-बाराबंकी। शिक्षामित्र साधना सिंह की विद्यालय में गोली मारकर हत्या करने में पति व श्वसुर सहित पांच को अपर सत्र न्यायाधीश (दस) सुरेंद्र प्रसाद यादव ने आजीवन कारावास व २०-२० हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता के अनुसार पति दूसरी शादी करना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता के साथ मिलकर साधना की हत्या की साजिश रची। वहीं बाराबंकी में अपर सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भुगतने का आदेश दिया है। ❑